इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150]   भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 मार्च 2020—चैत्र 8, शक 1942

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2020

NO. PS/Health/17/Medi-3/595- एपीडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 की धारा- 2 , 3 एवं 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, कोविड- 19, (कोरोना वायरस डिसीज- 2019) के संबंध में निम्नलिखित विनियम जारी करते हैं, अर्थात् :-

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश एपीडेमिक डिसीजेज कोविड- 19 विनियम, 2020 है।

2. "एपीडेमिक डिजीज" से इन विनियमों में अभिप्रेत है कोविड- 19 (कोरोना वायरस डिसीजेज, 2019) जिसे मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम, 1949 के अधीन अधिसूचित एपीडेमिक डिजीज एवं अधिसूचित इन्फेक्चूअस डिजीज के रूप में अधिसूचना दिनांक 18.03.2020 द्वारा घोषित किया गया है।

3. इस अधिनियम के अधीन, राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण) एवं जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी, आयुक्त, नगरपालिक निगम, अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक प्राधिकृत अधिकारी है।

4. संबंधित क्षेत्र के समस्त शासकीय विभागों और संगठनों के कर्मचारीवृन्द जिलों में रोकथाम के उपायों के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिला दंडाधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) तथा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की सेवा में रहेंगे। आवश्यकता होने पर जिला दंडाधिकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की सेवाओं और सुविधाओं की मांग का आदेश दे सकेगा ।

5. कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन तथ्यों की जांच और यथास्थिति प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), आयुक्त, स्वास्थ्य, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, संचालक, (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), संचालक (चिकित्सा शिक्षा) या जिला दण्डाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोविड- 19 के संबंध में किसी जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक या सामाजिक माध्यम (मीडिया) का उपयोग नहीं करेगा। कोविड- 19 के संबंध में किसी अपुष्ट सूचना और या अपवाह को फैलाने से रोकने के लिए यह आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसे इन विनियमों के अधीन दण्डनीय अपराध के रूप में समझा जाएगा।

6. समस्त चिकित्सालय, परिचर्या गृह (नर्सिंग होम) और नैदानिक (क्लीनिकल) स्थापनाएं (शासकीय या निजी), विनिर्दिष्ट प्रकरणों की जांच (स्क्रीनिंग) के दौरान उस व्यक्ति की किसी देश या क्षेत्र में जहाँ कोविड- 19 की सूचना प्राप्त हुई है, उनके भ्रमण के इतिहास को (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार) अभिलिखित करेगा। कोविड- 19 के संदेहास्पद या निश्चित व्यक्तियों के प्रकरणों को अभिलिखित किया जाना आवश्यक है। मरीजों की खोज कर संपर्क करने का कार्य (समय-समय पर जारी किए गए अपेक्षित दिशा-निर्देशों के अनुसार) स्वास्थ्य विभाग द्वारा या अन्य निर्धारित स्टॉफ द्वारा संचालित किया जाएगा। ऐसे समस्त प्रकरणों की जानकारी जिला एकीकृत बीमारी सतर्कता ईकाई (डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस यूनिट) और जिला दंडाधिकारी को तुरन्त दी जानी चाहिए।

7. यदि किसी परिसर का स्वामी या अधिभोगी या कोविड- 19 का कोई संदेहास्पद/निश्चित व्यक्ति निवारण या उपचार के उपायों जैसे घर करतीन (होम क्वारेन्टाइन)/संस्था करतीन/एकांतवास को अपनाने से इंकार करता है या कोई ऐसा व्यक्ति सतर्कता कर्मियों के साथ सहयोग करने से या सहायता करने से या निर्देशों का पालन करने से इंकार

करता है तो इस संबंध में विशिष्ट रूप से अधिकारिता रखने वाला जिला दण्डाधिकारी समुचित आदेश पारित कर सकेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक- 2) की धारा- 133 के अधीन कार्यवाहियां कर सकेगा या ऐसी कोई अन्य प्रपीड़क कार्यवाही कर सकेगा जो ऐसे सहयोग और सहायता को लागू करने के लिए आवश्यक और समीचीन हों। अवयस्क की दशा में ऐसा आदेश अवयस्क के संरक्षक या परिवार के किसी वयस्क सदस्य को निर्दिष्ट किया जाएगा।

8. कोविड- 19 पर भारत सरकार द्वारा जारी की गई या जारी की जाने वाली समस्त सलाह (एडवाइजरी) को मध्यप्रदेश राज्य में ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के अधीन स्वतः सिद्ध निर्देशों के रूप में समझा जाएगा।

9. मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सहमति से, जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंध सम्मिति को अपने-अपने जिलों में कोविड- 19 के रोकथाम के उपायों के संबंध में रणनीति तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। जिला दंडाधिकारी इन विनियमों के अधीन इस गतिविधि के लिए जिला आपदा प्रबंध समिति के लिए भिन्न-भिन्न विभागों से और अधिक अधिकारियों को सहयोजित कर सकेगा।

10. शास्तिः इस संगठन विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए गए व्यक्ति/संस्था/संगठन, भारतीय दण्ड संहित (1860 का 45) को धारा 187/188 /269 /270/271 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कारित किया गया समझा जाएगा। किसी जिले का जिला दंडाधिकारी इन विनियमों के प्रावधानों या इन विनियमों के अधीन शासन द्वारा जारी किन्ही अन्य आदेशों को उल्लंघन करते पाये जाने पर किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन को दण्डित कर सकेगा।

11. अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण: इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किया जाना आशयित कार्य के लिए जबतक कि अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाए, किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

12. ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव चन्द्र दुबे, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.